राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(49) ग्राविवि/ग्रुप–5/ PMAY-G / M-1 /visit/2017–18 जयपुर, दि 01 नवम्बर, 2017

–::कार्यालय आदेश::–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के स्वीकृत आवासों को 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने एवं वर्ष 2017–18 की शत प्रतिशत स्वीकृतियां/प्रथम किश्त जारी करने हेतु जिलों को निर्देशित किया गया है। योजना की प्रगति के अनुसार वर्ष 2016–17 के 52617 (21 प्रतिशत) आवास पूर्ण हुए है एवं वर्ष 2017–18 में 223629 लक्ष्यों के विरूद्ध 164081 (73 प्रतिशत) स्वीकृतियां ही जारी हुई है।

उक्तानुसार धीमी प्रगति के परिपेक्ष्य में जिला जोधपुर, चूरू, कोटा, अलवर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, चित्तौडगढ, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड, जालौर, टोंक, बून्दी, बांसवाडा, बारां, उदयपुर, करौली, डूंगरपुर, बाडमेर, प्रतापगढ एवं राजसमन्द जिलों के जिला प्रभारी अधिकारियों को दिनांक 02.11.2017 से 03.11.2017 तक अपने जिलों में भ्रमण हेतु निर्देशित किया जाता है। भ्रमण के दौरान प्रभारी अधिकारी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं योजना के कियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को चिन्हित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पुष्कर राज शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मो एवं मू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग।
6. जिला प्रभारी अधिकारी, जिला जोधपुर, चूरू, कोटा, अलवर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, चित्तौडगढ, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड, जालौर, टोंक, बून्दी, बांसवाडा, बारां, उदयपुर, करौली, डूंगरपुर, बाडमेर, प्रतापगढ एवं राजसमन्द।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) जोधपुर, चूरू, कोटा, अलवर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, चित्तौडगढ, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड, जालौर, टोंक, बून्दी, बांसवाडा, बारां, उदयपुर, करौली, डूंगरपुर, बाडमेर, प्रतापगढ एवं राजसमन्द को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने एवं सर्किट हाउस में कमरा आरक्षित कराने बाबत।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

1/11/17
अधीक्षण अभियंता, ग्राविं

AEN PC/ D:\Letter\Aen\Aen (2017-18).docx 37